पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं.-22
दिनांक- 05.01.2026

जोन पश्चिमी / थाना तालकटोरा

- **थाना तालकटोरा पुलिस द्वारा 01 शातिर वाहन चोर को किया गया गिरफ्तार**
- **कब्जे से चोरी गयी 01 अदद स्कूटी बरामद।**

01-संक्षिप्त विवरण-

वादी मुकदमा श्री विवेक सिन्हा पुत्र श्री विपिन बिहारी सिन्हा निवासी सी-5366, सेक्टर-12 राजाजीपुरम लखनऊ द्वारा तहरीरी सूचना किया कि उनकी गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर अरफात उनके घर से उनकी स्कूटी चोरी कर ले गया उसके बाद संपर्क करने पर उससे संपर्क भी नहीं हुआ। इस संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 81/2025 धारा 303(2) बीएनएस दिनांक 22.04.2025 को पंजीकृत किया गया।

मुखबिर खास की निशादेही पर मुकदमा उपरोक्त में वाँछित अभियुक्त अरफात को मधुवन मैरिज लान राजाजीपुरम के पास से दिनांक 04.01.2026 को समय करीब 18.50 बजे गिरफ्तार कर कब्जे से चोरी गयी एक्टिवा स्कूटी UP32HB9752 उपरोक्त बरामद किया गया।

बरामदगी के आधार पर अभियोग उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी, अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. मो0 अरफात खान पुत्र मो0सुहेल खान निवासी 2 दुर्गा देवी मार्ग घण्टाघर के पीछे हुसैनाबाद थाना ठाकुरगंज लखनऊ मूल पता बख्तियार नगर मोहान रोड मलिहाबाद लखनऊ उम्र 38 वर्ष

03-बरामदगी

- 01 अदद स्कूटी एक्टिवा UP32HB9752 संबंधित मु0अ0सं0 81/2025 धारा 303(2) बीएनएस

04-अनावरित अभियोग-

1. मु0अ0सं0-81/2025 धारा 303(2) बीएनएस थाना तालकटोरा लखनऊ।

05-गिरफ्तारी करने वाली थाना तालकटोरा पुलिस टीम-

1. उ0नि0 संदीप जायसवाल थाना तालकटोरा लखनऊ।
2. उ0नि0 श्री प्रवीन कुमार थाना तालकटोरा लखनऊ।
3. उ0नि0 रविशंकर मौर्य थाना तालकटोरा लखनऊ।
4. उ0नि0 मुकेश मिश्रा थाना तालकटोरा लखनऊ।
5. आरक्षी नीरज सिंह थाना तालकटोरा लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं.-018
दिनांक- 05.01.2026

जोन-उत्तरी / थाना –रहीमाबाद

- **थाना रहीमाबाद पुलिस द्वारा पीड़िता को बहला-फुसलाकर ले जाने वाले आरोपी / अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 30.12.2025 को वादी मुकदमा द्वारा दी गयी तहरीरी सूचना जिसमें वादी द्वारा बताया गया कि विपक्षी संजय यादव द्वारा प्रार्थी की नाबालिग पुत्री उम्र करीब 15 वर्ष को बहला फुसलाकर भगा कर ले जाने के सम्बन्ध में बताया गया। दिये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर मु0अ0सं0 193/2025 धारा 87/137(2) बीएनएस बनाम संजय यादव पुत्र स्व0 सरजू यादव निवासी ग्राम नरायनपुर मजरा उमरावल थाना रहीमाबाद लखनऊ उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

थाना रहीमाबाद पुलिस द्वारा दिनांक 04.01.2026 को अभियुक्त संजय यादव उम्र करीब 26 वर्ष उपरोक्त को बराही देवी मन्दिर जाने वाले रास्ते से उसके द्वारा कारित जुर्म धारा से अवगत कराते हुए पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तारी के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों एवं निर्देशों का पालन करते हुये विधिक कार्यवाही पूर्ण कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. संजय यादव पुत्र स्व0 सरजू यादव निवासी ग्राम नरायनपुर मजरा उमरावल थाना रहीमाबाद लखनऊ उम्र करीब 26 वर्ष

03-पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 193/2025 धारा 87/137(2) बीएनएस थाना रहीमाबाद लखनऊ।

04-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:

1.उ0नि0 सुधान्शू मलिक थाना रहीमाबाद लखनऊ।

2.का0 किशनवीर थाना रहीमाबाद लखनऊ।

3.म0का0 सोनी चौधरी थाना रहीमाबाद लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं.-017
दिनांक-05.01.2026

जोन- उत्तरी / थाना- जानकीपुरम

- **थाना जानकीपुरम पुलिस टीम द्वारा ज्वैलर्स की दुकान पर चोरी करके भाग जाने वाले अभियुक्त को किया गिरफ्तार।**
- **19 अदद अंगूठी पीली धातु, 20,000/- रूपये नगद व 01 अदद मोटरसाइकिल बरामद ।**

01-सक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 04.01.2026 को थाना स्थानीय पर वादी श्री पूरूषोत्तम प्रसाद (खुशी ज्वैलर्स की दुकान) निवासी 60 फिट रोड थाना जानकीपुरम लखनऊ द्वारा शिकायत किया गया कि अज्ञात व्यक्ति अँगूठी देखने के बहाने आकर और अँगूठी दिखाने को कहकर जब मैं अंगूठी अन्दर से लेने चला गया तो उपरोक्त व्यक्ति के पास रखी सभी अंगूठी लेकर भाग गया। थाना स्थानीय पर तत्काल उपरोक्त शिकायत पर मु0अ0स0 001/2026 धारा 305A BNS पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 श्री विकास सिंह को सुपुर्द हुई।

उक्त घटना को गम्भीरता से लेते हुए तत्काल घटनास्थल निरीक्षण किया गया घटना के सफल अनावरण एवं घटना में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु उच्चाधिकारीगण के आदेश-निर्देश के क्रम में टीमों का गठन किया गठित पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल के आस-पास लगे सीसीटीवी फुटेज चेक किये गये एवं संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गयी।

प्राप्त मेनुअल इन्पुट एवं आउट पुट सीसीटीवी फूटेज एवं मुखबिर खास की सूचना के आधार पर दिनांक दिनांक 05.012026 को अभियुक्त 1. सुमित मिश्रा पुत्र श्री सुधाकर मिश्रा निवासी-कमलानगर पोस्ट-कमलाबाद बढ़ौली थाना-जानकीपुरम लखनऊ उम्र 25 वर्ष को पुलिस टीम द्वारा बरामदगी करते हुए तिवारीपुर कोटवा जाने वाली रोड अंकुरण किड्स स्कूल से गिरफ्तार किया गया।

साक्ष्य संकलन से मुकदमा उपरोक्त में धारा **317(2)** बीएनएस की बढोत्तरी कर गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अतर्गत धारा **305(ए)/ 317(2) बीएनएस** में नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

अपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में अन्य थानो व जनपदो से जानकारी की जा रही है ।

02-अपराध का तरीका/उद्देश्यः-

चोरी कर पैसे कमाना

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1. सुमित मिश्रा पुत्र श्री सुधाकर मिश्रा निवासी-कमलानगर पोस्ट-कमलाबाद बढ़ौली थाना जानकीपुरम लखनऊ उम्र-25 वर्ष (व्यवसाय – प्राइवेट नौकरी) ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं.-019
दिनांक- 05.01.2026

मध्य जोन / थाना हुसैनगंज

- **थाना हुसैनगंज पुलिस द्वारा 01 नफर वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।**

01-संक्षिप्त विवरण:

मा0 न्यायालय लखनऊ द्वारा केस नं0 2049/2024 मु0अ0सं0 45/2024 धारा 363/366 भा0द0वि0 थाना हुसैनगंज लखनऊ बनाम अंकित रावत पुत्र कमलेश रावत नि0 68/73 छितवापुर पजावा थाना हुसैनगंज लखनऊ में एन.बी.डब्लू निर्गत किया गया था, जो काफी समय से मा0 न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहा था।

मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध निर्गत एन0बी0डब्लू की गिरफ्तारी के क्रम में थाना स्थानीय की पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त अंकित रावत पुत्र कमलेश रावत नि0 68/73 छितवापुर पजावा थाना हुसैनगंज लखनऊ उम्र करीब 26 वर्ष को उसके निवास स्थान से दिनांक 04.01.2026 को गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तारी के दौरान मा0 सर्वोच्च न्यायालय मानवाधिकार आयोग के आदेशों / निर्देशों का पूर्णतः पालन किया गया।

विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुये अभियुक्तगण उपरोक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में अन्य थाना व जनपद से जानकारी की जा रही है।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:

1. अंकित रावत पुत्र कमलेश रावत नि0 68/73 छितवापुर पजावा थाना हुसैनगंज लखनऊ उम्र करीब 26 वर्ष।

03-सम्बन्धित वाद:-

1. केस नं0 2049/2024 मु0अ0सं0 45/2024 धारा 363/366 भा0द0वि0 थाना हुसैनगंज लखनऊ।

04-अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:

1. मु0अ0सं0 0081/2018 धारा 147/323/341/506 भा0द0वि0 थाना हुसैनगंज लखनऊ।
2. मु0अ0सं0 0096/2023 धारा 323/204/506 भा0द0वि0 थाना कैसरबाग लखनऊ।
3. मु0अ0सं0 0045/2024 धारा 363/366 भा0द0वि0 थाना हुसैनगंज लखनऊ।
4. मु0अ0सं0 0107/2024 धारा 115(2)/351(3)/352 बी0एन0एस0 थाना हुसैनगंज लखनऊ।
5. गुण्डा पंजीकरण सं0 0001/2025 धारा 3(1) गुण्डा नियंत्रण अधि0 थाना हुसैनगंज लखनऊ।

05-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. थानाध्यक्ष शिव मंगल सिंह, थाना हुसैनगंज लखनऊ।
2. उ0नि0 गौरव सिंह, थाना हुसैनगंज लखनऊ।
3. उ0नि0 शिवम वर्मा, थाना हुसैनगंज लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं.-021
दिनांक- 05.01.2026

जोन- पूर्वी / थाना-गाजीपुर

- **थाना गाजीपुर पुलिस द्वारा कूटरचित वसीयत व अन्य दस्तावेज बनाकर धोखाधड़ी कर मकान नामांतरण करवाने व उक्त मकान का ताला तोड़कर कब्जा कर लेने एवं घर में रखा सामान चोरी कर लेने के आरोपी 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 31.12.2025 को वादिनी मुकदमा श्रीमती अंजना भट्ट नि0- निर्वाण रिहैब सेंटर सूर्या सिटी तकरोही लखनऊ द्वारा प्रार्थना पत्र के माध्यम विपक्षीगण द्वारा वादिनी के मकान ए-418 इन्दिरानगर लखनऊ का ताला तोड़कर अवैध रूप से प्रवेश करने तथा वादिनी के घर में रखा कीमती समान जिसमें कपडे बर्तन रेफ्रिजरेटर टेलीविजन फर्नीचर महत्वपूर्ण कागजात तथा लाखों रूपये का अन्य घरेलू समान ले लेने तथा वादिनी के मकान में अवैध रुप से कब्जा कर लेने के सम्बन्ध में सूचित किया। वादिनी मुकदमा के उपरोक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर मु0अ0सं0 438/2025 धारा 305(ए)/329(4)/331(4) बी.एन.एस बनाम- 1. बलवंत कुमार पता अज्ञात व कुछ साथी नाम पता अज्ञात के विरूद्ध पंजीकृत हुआ।

दौराने विवेचना, बयान वादिनी, निरीक्षण घटनास्थल व प्रपत्रों के अवलोकन से मुकदमा उपरोक्त में धारा 61(2)/319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस के अपराध कारित होने के पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने के कारण मुकदमा उपरोक्त में धारा 61(2)/319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी तथा 1. बलवन्त कुमार यादव उर्फ बब्लू पुत्र राम दुलारे यादव निवासी- नरायनपुर पोस्ट-बुझारत की मडई थाना सैय्यद राजा जनपद चन्दौली उम्र 38 वर्ष, 2. मनोज कुमार यादव पुत्र स्व0 उमाशंकर यादव निवासी- दाउदपुर थाना कोतवाली चंदौली जनपद-चन्दौली उम्र 40 वर्ष, 3. शिव जियावन पुत्र सीताराम निवासी- भुतौला तहसील सकलडीहा जनपद चन्दौली, 4. सोनू उर्फ स्वामीकान्त निवासी ग्राम चंदवक थाना चंदवक जनपद जौनपुर, 5. सत्यम, 6. राजीव, 7. अज्ञात कथित विपिन चंद्र भट्ट का नाम प्रकाश में आया।

दौरान विवेचना बलवन्त कुमार यादव व मनोज कुमार यादव उपरोक्त को दिनांक 01.01.2026 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है।

अभियोग की घटना को चुनौतीपूर्ण लेते हुए घटना में सम्मिलित व्यक्तियों/अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पुलिस टीमों का गठन कर अन्य वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु भरसक प्रयास किया जा रहा था।

आज दिनांक 05.01.2025 को थाना गाजीपुर पुलिस टीम द्वारा अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्त सत्यम पाण्डेय पुत्र सुरेश पाण्डेय निवासी- लंका सिटी रामनगर वाराणसी हाल पता- ओमेक्स फ्लैट न0 1603 टावर न0 19 अर्जुनगंज थाना सुशांतगोल्फ सिटी लखनऊ उम्र करीब 32 वर्ष को थाना क्षेत्रान्तर्गत बंधा रोड पर मजार के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। अपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में अन्य थाना व जनपद से जानकारी की जा रही है। प्रकाश में आये अन्य अभि0गण की तलाश की जा रही है।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. सत्यम पाण्डेय पुत्र सुरेश पाण्डेय निवासी- लंका सिटी रामनगर जनपद वाराणसी हाल पता- ओमेक्स फ्लैट न0 1603 टावर न0 19 अर्जुनगंज थाना सुशांत गोल्फ सिटी लखनऊ उम्र करीब 32 वर्ष

03-अनावरित अभियोग-

1. मु0अ0स0 438/2025 धारा 61(2)/319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2) बी.एन.एस. थाना गाजीपुर लखनऊ

04-अभि0 सत्यम पाण्डेय उपरोक्त का अपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 035/2025 धारा 419/420/504/506 थाना मुगरा बादशाहपुर जनपद जौनपुर

NOTE- अपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में अन्य थाना व जनपद से जानकारी की जा रही है।

05-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राजेश कुमार मौर्या
2. व0उ0नि0 सफात उल्लाह खाँ
3. उ0नि0 नीरज यादव
4. उ0नि0 श्री आनन्द कुमार
5. का0 अजय तोमर